

राजस्थान राज्य महिला
आयोग
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2014—2015

राजस्थान राज्य महिला
आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

फोन : 2779001—4 फ़ैक्स : 2779002

E-mail : raj.rajyamahilaaaayog@gmail.com

Web-site : rscw.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	संगठन व शक्तियां	1-7
अध्याय – 2	आयोग का कार्यक्षेत्र	8-11
अध्याय – 3	वर्ष 2014-15 में प्राप्त शिकायतों का विवरण	12
अध्याय – 4	आयोग का वित्तीय स्वरूप	13
अध्याय – 5	आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण	14-15
अध्याय – 6	महिला हेल्पलाइन	16-17
अध्याय- 7	राज्य महिला नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा	18
अध्याय- 8	कार्यशाला आयोजन	19-20

अध्याय- 9	प्रसंज्ञान एवं जांच	21-28
अध्याय- 10	रेड-लाइट एरिया के दौरे व निरीक्षण	29-30
अध्याय- 11	राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं	31

अध्याय -1 संगठन व शक्तियाँ

राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर दिनांक 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया।

आयोग की संरचना

आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्य और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-19(295)/99/मबावि/60456 दिनांक 19.11.2011 तथा एफ.1(295) रामआ/मअ/99/6675 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यगण का पदस्थापन निम्नानुसार रहा है:-

नाम	पद	पद ग्रहण करने की तिथि	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि
प्रो. लाडकुमारी जैन	अध्यक्ष	24.11.2011	23.11.2014
श्रीमती रूपा तिवाडी	सदस्य	27.02.2012	26.02.2015
श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी	सदस्य	27.02.2012	26.02.2015
श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया	सदस्य	24.02.2012	23.02.2015

आयोग में स्वीकृत पदों का विवरण

क्रं सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सदस्य सचिव	1	1	—
2	उप सचिव	1	—	1
3	पंजीयक	1	1	—
4	वरिष्ठ निजी सहायक	1	—	1
5	निजी सहायक	1	—	1
6	आशुलिपिक	1	1	—
7	लेखाकार	1	1	—
8	वरिष्ठ लिपिक	2	1	1

9	कनिष्ठ लिपिक	7	7	—
10	सूचना सहायक	1	1	—
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	10	—
कुल		27	23	4

आयोग की शक्तियाँ

राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम में इन शक्तियों का समायोजन राज्य की जनता, विधायिका व सरकार का महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील विचारधारा का परिचायक है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं (10, 11, 12, 13) के अनुसार राज्य महिला आयोग को प्रदत्त शक्तियों का विवरण इस प्रकार है :-

धारा-10 हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश कराने की आयोग की शक्तियाँ-

10(1) :- आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के दौरान किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :-

- 10(1)(क) :-** किसी भी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और उसकी परीक्षा करना;
- 10(1)(ख) :-** किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना;
- 10(1)(ग) :-** शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;
- 10(1)(घ) :-** किसी भी लोक कार्यालय से किसी भी लोक दस्तावेज या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;
- 10(1)(ङ) :-** साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, समन जारी करना;
- 10(2) :-** आयोग को सिविल न्यायालय समझा जायेगा और जब भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में यथावर्णित कोई भी अपराध आयोग की दृष्टि या उपस्थिति में किया जाता है,
- तो आयोग उन तथ्यों को, जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 को केन्द्रीय अधिनियम 2) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार अभिलिखित करने के पश्चात् मामले को उसके विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और वह मजिस्ट्रेट, जिसे इस प्रकार का कोई भी मामला भेजा गया है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की सुनवाई करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 346 के अधीन भेजा गया है।
- 10(3) :-** आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196

के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

धारा-11:—आयोग के कृत्य

- (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—
- (i) किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों की सरकार को सिफारिश करना य
 - (ii) महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विवादकों का या अनुचित व्यवहारों से संबंधित विवादकों का अन्वेषण करना या अन्वेषण करवाना और उनके बारे में किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सरकार को रिपोर्ट तैयार करना ;
 - (iii) निम्नलिखित के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट या रिपोर्टें प्रस्तुत करना :—
- (क) प्रवृत्त विधियों में की ऐसी कमियाँ, अपर्याप्तताएं या खामियाँ जो महिलाओं के समता के संवैधानिक अधिकार और उनके प्रति उचित व्यवहार को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपचारी विधायी उपाय ;

- (ख) महिलाओं के संबंध में प्रवृत्त विधियों के कार्यकरण को इस दृष्टि से मोनीटर करना ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें विधियों का प्रवर्तन पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है या दोष रहित नहीं किया जा रहा है और उनमें सुधार लाने के लिए किये जाने वाले कार्यपालक या विधायी उपायों की सिफारिश करना ;
- (ग) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में की गयी भर्तियों को मोनीटर करना और ऐसी भर्तियों के मामले में महिलाओं को समान अवसर की गारण्टी देने हेतु अपेक्षित कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करने की दृष्टि से ऐसी भर्तियों को शासित करने वाले नियमों और विनियमों की संवीक्षा करना ;
- (iv) (क) किसी भी कारागार, पुलिस थाने, हवालातों, उप-जेलों, उद्धार गृहों या अभिरक्षा के ऐसे अन्य स्थानों जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, या राज्य सरकार या उसके किन्हीं भी अभिकरणों जिनमें महिलाओं के उद्धार या आश्रय के प्रयोजन के लिए सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरण सम्मिलित हैं, द्वारा चालित महिलाओं के आश्रय स्थल या अन्य इसी प्रकार के स्थानों या किसी भी व्यक्ति द्वारा चालित महिलाओं या लड़कियों के लिए आशयित होस्टलों का और सभी ऐसे अन्य स्थानों का, जिनमें महिलाओं के विरुद्ध किये गये अनुचित व्यवहार का परिवाद किया जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और ऐसे स्थानों में महिलाओं और लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसके बारे में और जाँच करवाना और उपचारी कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिपोर्ट करना ;
- (ख) ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग का यह दृष्टिकोण हो कि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने के बारे में अपने कर्तव्यों का निर्वहण करने के संबंध में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा ;

- (v) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से अपनाये और लागू किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना ;
- (vi) महिलाओं के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिए व्यापक और सकारात्मक स्कीम बनाना और ऐसी स्कीमों को लागू करने के लिए कार्यक्रम सुझाना जो राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किये जायेंगे और उसका अनुमोदन अभिप्राप्त हो जाने पर उपान्तरणों सहित या उनके बिना उसे लागू करेगा या लागू करवायेगा ;
- (vii) महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के संबंध में किसी भी ऐसे कानून के अधीन अभियोजन की कार्यवाही के लिए समुचित प्राधिकारी को सिफारिश करना, जिसमें ऐसे कानून के अपबंधों के अतिक्रमण के लिए शास्ति का उपबंध किया गया हो ;
- (viii) महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा के संबंध में तुलनात्मक अद्यतन सहित, आंकड़ों का व्यापक अधिकोष संधारित करना समय-समय पर उन्हें अध्ययन करना, महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्रवाइयों में उपयोग के लिए ऐसे आंकड़ों को उपलब्ध करना;
- (ix) उत्तराधिकार, संरक्षकता, दत्तक ग्रहण और विवाह-विच्छेद के मामलों में विभेद को दूर करने के लिए, या महिलाओं की गरिमा और मातृत्व के मान को सुरक्षित रखने से संबंधित मामलों के लिए सरकार को विधायन शुरू करने के लिए सिफारिश करना ;
- (x) महिलाओं के प्रति हुए विभेद और अत्याचारों से उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन अन्वेषण कराये जाने की अपेक्षा करना और बाधाओं का पता इस दृष्टि से लगाना जिससे कि उन्हें दूर करने की युक्तियों की सिफारिश की जा सके ;
- (xi) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया के बारे में सलाह देना ;

- (xii) महिलाओं के किसी बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले विवाद्यकों को अन्तर्वलित करने वाले वादकरण के लिए निधि उपलब्ध कराना ;
- (xiii) महिलाओं से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनमें महिलाओं को कठिन परिश्रम करना होता है, राज्य सरकार को सावधि रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;
- (xiv) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान का जिम्मा लेना जिससे महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने के उपाय सुझाये जा सकें और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का, जैसे आवासन और बुनियादी सेवाओं की सुलभता में कमी, कड़ी मेहनत और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहाय्य सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता को परिलक्षित करना ;
- (xv) महिलाओं से संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना ;
- (xvi) अन्य कोई मामला, जो उस सरकार, आम जनता, प्रेस द्वारा निर्दिष्ट किया जाये या किन्हीं ऐसे अधिकारों के अतिलंघन का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिन्हें आयोग महिलाओं के हितों के लिए अपायकर समझे।

धारा-12. अनुचित व्यवहारों की जांच करना- (1) आयोग:-

- (क) किसी भी महिला से यह अभिकथित करते हुए कि उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया गया है, कोई लिखित परिवाद या किसी भी रजिस्ट्रीकृत महिला संगठन से वैसा ही परिवाद प्राप्त होने पर ;
- (ख) अपनी स्वयं की जानकारी या सूचना पर ;
- (ग) सरकार से किसी भी निवेदन पर ;
- (घ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अनुचित व्यवहार की व्यक्तिगत जानकारी हो, किये गये परिवाद पर; किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच कर सकेगा।

- (2) जहां परिवाद उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किया गया है वहां आयोग उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, कोई भी आदेशिका जारी करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि परिवाद की जांच करनी आवश्यक है, ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रारंभिक अन्वेषण करवा सकेगा।
- (3) (i) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग को हेतुक दर्शाता है और उसका समाधान कर देता है तो उस पर किसी भी कार्यवाही के शुरु किये जाने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की जायेगी ;
- (ii) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग का समाधान करने में असफल रहता है या जहां वह तत्प्रयोजनार्थ नियत दिन को उपसंजात होने में असफल रहता है वहां आयोग परिवाद में अभिकथित मामले की जांच करने की कार्यवाही कर सकेगा और यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले कोई अनुचित व्यवहार किया गया है या मामले में कार्यवाही किये जाने का कोई विशेष आधार प्रतीत होता है वहां आयोग राज्य-सरकार को उस मामले में कार्रवाई और अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश करेगा।
- (4) राज्य सरकार, उप-धारा (3) के अधीन आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर उन पर विनिश्चय करेगी और आयोग को उसकी सूचना देगी।

धारा-13. अभियोजन का प्रारंभ:-

यदि धारा 12 के अधीन किसी परिवाद के अन्वेषण के पश्चात् आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई दण्डिक अपराध किया है और ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अभियोजित किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का आदेश पारित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध, अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा यदि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो, और यदि ऐसे अभियोजन के लिए

किसी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अपेक्षित हो तो उस प्राधिकारी से ऐसी मंजूरी प्राप्त की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श किया जाना:—

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय-समय पर परामर्श करेगी।

अध्याय 2 आयोग का कार्यक्षेत्र

राज्य महिला आयोग राज्य में महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में (डाक द्वारा, फ़ैक्स, ई-मेल या वेब-साइट द्वारा) प्राप्त हुई हो, मौखिक

रूप में हो अथवा अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया लिया जाता है। लिखित रूप में की जाने वाली शिकायत महिला आयोग को सम्बोधित होनी आवश्यक है।

आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे :- उत्पीड़न व दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, डायन बताया जाना, रोजगार में भेदभाव, जमीन-जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभित्यजन, सम्बन्धियों द्वारा यौन शोषण आदि से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज की जाती हैं। शिकायतों के निवारण के प्रयासों के अतिरिक्त आयोग द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु जागरूकता अभियान, जनसुनवाई, कार्यशालाएँ परिचर्चा, संगोष्ठियाँ तथा सेमीनारों का आयोजन किया जाता है। आवश्यकतानुसार शिकायतों की जाँच हेतु जाँच समितियों का गठन भी समय-समय पर किया जाता रहा है।

(1) जैण्डर प्रकोष्ठ :-

यह प्रकोष्ठ महिला आयोग के लिए महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। राजस्थान राज्य में जैण्डर समानता, सामाजिक समानता व महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ मातृ-मृत्यु दर व शिशु-मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर पैरवी हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग में अपने स्तर पर इस प्रकोष्ठ का (जैण्डर प्रकोष्ठ) का संचालन किया जाता रहा है। इस इकाई के माध्यम से राज्य महिला आयोग द्वारा लैंगिक समानता अधिकार के साथ सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर कार्य किये गये। जिसके अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण एवं आमुखीकरण से सम्बन्धित कार्यशालाएँ, महिला जनसुनवाई, आदि कार्य प्रमुख है। समता व समानतापूर्ण समाज का सपना साकार करने के लिए महिलाओं को जागरूक बनाने की दिशा में विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(2) शिकायत प्रकोष्ठ

कोई भी महिला या उसके रिश्तेदार राजस्थान राज्य महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतें डाक द्वारा, फ़ैक्स द्वारा, ई-मेल या वेब-साइट

द्वारा हेल्पलाइन पर फोन करके अथवा व्यक्तिशः स्वयं आयोग में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आयोग प्रशासन द्वारा उक्त प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु उचित स्तर पर समुचित कार्यवाही की जाकर पीड़िता को त्वरित न्याय दिलवाने हेतु उचित प्रयास किये जाते हैं।

स्वयं आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दर्ज की गई शिकायतें जिनके निस्तारण में पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य संस्थाओं के सहयोग की भूमिका होती है, उन पर आयोग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार आयोग द्वारा पत्र व्यवहार कर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर उनके निस्तारण होने तक नियमित निगरानी की जाती है और त्वरित गति से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है।

आयोग में प्राप्त शिकायतों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाती है :-

- पारिवारिक मामलों में संबंधित सभी पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये जाते हैं।
- पुलिस द्वारा किये जा रहे जांच कार्य को गति प्रदान करवाना। यदि थाने द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा रही हो तो दर्ज करवाना।
- विभिन्न अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में की जाने वाली कार्यवाही को निश्चित अवधि में सुनिश्चित करवाना।

(3) व्यक्तिगत सुनवाई

राज्य महिला आयोग का यह महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है इसके माध्यम से कई टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर दोनों पक्षकारों को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई बाबत आयोग में तलब किया जाता है और नियत पेशी के दिन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दोनों पक्षकारों की सुनवाई व समझाइश की जाती है

और कई मामलों में पति-पत्नी में समझौता करवाकर आयोग से ही उन्हें साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ित महिलाओं को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाता है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, द्विविवाह संबंधी मामलों का भी दोनों पक्षकारों की आपसी समझाइश के माध्यम से समाधान किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की कार्रवाई आयोग द्वारा की जाती है।

ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग उचित समझता है, शिकायत से संबंधित पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया जाता है तथा पक्षकारों को राहत प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। आयोग में पक्षकारों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सभी पक्षों को बुलाकर आपसी बातचीत व समझाइश द्वारा समाधान करवाने का प्रयास किया जाता है। पहले से दर्ज मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पेशी की तारीखें निर्धारित की जाती हैं।

(4) जनसुनवाई (अ) उद्देश्य :-

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 15 खण्ड (i) के अनुसार महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में उनकी पीड़ा सुनकर उसका निदान करवाना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। ऐसी उत्पीड़ित महिलाएँ जिनको महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है या वह आयोग तक पहुंच नहीं पाती हैं तो आयोग जिला मुख्यालय पर जाकर उन महिलाओं की स्थानीय जिला प्रशासन के साथ महिला सुनवाई आयोजित करता है और यथा-सम्भव जिला स्तर पर उत्पीड़ित महिलाओं को तुरंत राहत दिलवाता है।

इस क्रम में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक अन्याय की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने की दृष्टि से आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग में प्राप्त समस्याओं और शिकायतों के निराकरण हेतु समय-समय पर जनसुनवाइयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलाने व उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य करता है।

जन-सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग, जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सम्बन्धित स्थल पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन की भागीदारी रहती है। जिला स्तर पर जन-सुनवाई आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को न्याय व राहत दिलवाना है, जो पीड़ित हैं तथा आयोग के जयपुर स्थित कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं।

(ब) कार्यक्रम की प्रक्रिया

जिस स्थान पर जन-सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा जनसुनवाई वाले दिन पीड़ित महिलाओं का पंजीयन किया जाता है। पीड़िता को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी समस्या सुनी जाती है तथा मौके पर ही उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जन-सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों को यथासम्भव सुनवाई स्थल पर ही निस्तारित करने के प्रयास किये गये हैं लेकिन कुछ प्रकरणों के निस्तारण में जाँच कार्यवाही के कारण समय लगता है। उन प्रकरणों की आयोग द्वारा निगरानी की जाकर पीड़िता को न्याय दिलवाया जाता है। जन-सुनवाई में पीड़िता निर्भीक होकर अपनी बात आयोग को कहती है, जिससे समस्या की गहराई तक जाकर उसका समाधान त्वरित गति से किया जाना सम्भव हो जाता है। पीड़िता से सीधा संवाद स्थापित होने से वह भी अपने आप को संकट के समय अकेला महसूस नहीं करती है। जनसुनवाई के साथ-साथ महिला जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल व कॉलेज के

छात्र-छात्राओं के महिला मुद्दों पर संवाद स्थापित किए गये जिससे महिला के हित में बने कानूनों की

जानकारी के साथ संवैधानिक मानवाधिकारों की जानकारी दी गई। इस प्रकार राजस्थान राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है। वर्ष 2014-15 में आयोग द्वारा 03 जिलों में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	जिले का नाम	जनसुनवाई दिनांक	कुल प्राप्त प्रकरण
1	श्रीगंगानगर	04.08.2014	140
2	हनुमानगढ़	05.08.2014	29
3	चूरु	06.08.2014	69


इन जन-सुनवाइयों में उत्पीड़न व दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा के मामले (जैसे भरण-पोषण नहीं देना आदि से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान के प्रयास जिला स्तर पर किये गये हैं।

अध्याय – 3

आयोग में वर्ष 2014–15 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष 2014–2015 में आयोग का विभिन्न प्रकृति की शिकायतें व्यक्तिगत व जनसुनवाई में एवं डाक द्वारा प्राप्त हुई जिनमें दहेज क्रूरता, दहेज हत्या, भरण–पोषण, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न, भूमि विवाद व घरेलू हिंसा की शिकायतें प्राप्त हुई। आयोग में दर्ज शिकायतों के आंकड़ें निम्न प्रकार हैं।

दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

कुल प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन	
4566	1605	2961	

आंकड़ों के विवरण का पृष्ठ पृथक से संलग्न है।

अध्याय – 4
आयोग का वित्तीय स्वरूप

राजस्थान राज्य महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। 01.04.2014 से 31.03.2015 तक में आयोग द्वारा प्राप्त की गई एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नांकित है।

Income & Expenditure Statement
for the period 01.04.2014 to 31.03.2015

S.No.	Income	Amount	Expenditure	Amount
1.	Opening Balance	34,14,714.05		
	(i) At Donation A/c	68,331.98	1. Commission Expenditure	1,32,36,434.02
	(ii) NCW -	11,795.00	2. NRHM	23,038.00
	(iii) Unicef-	8,547.00		
	(iv) N.R.H.M.	<u>2,42,281.00</u>		
		3,30,954.98		
	(v) Commission :-			
	P.D.A/c No.3926-	8,64,042.00		
	P.D.A/c No.3991 -	8,75,280.00		
	Cash at Bank	13,43,207.07		
	Cash in Hand	<u>1,230.00</u>		
		<u>30,83,759.07</u>		
2.	Receipt			
	From State Government	1,57,90,000.00	3. Closing Balance	63,71,898.05
			(i) Unicef	8,547.00
			(ii) NRHM	2,19,243.00
			(iii) NCW	<u>11,795.00</u>
				2,39,585.00
			(iv) Commission :-	
			P.D.A/c No.3926-	11,50,040.00
			P.D.A/c No.3991-	38,67,032.00
			Cash at Bank	11,14,506.05
			Cash in Hand	<u>735.00</u>
				<u>61,32,313.05</u>
3.	Sale of Raddi	3,108.00		
4.	Bank interest on SB A/c	38,914.00		
5.	Bank int. on Donation Bank A/c	2,872.02		
6.	Nakal Charges	5,045.00		
7.	Sale of Tender Form	2,500.00		
8.	Security Deposit	28,000.00		
9.	Vehicle Rent	6,000.00		
10.	Staff Advance	4,692.00		
11.	Gratuity/ Leave Encashment	2,83,773.00		
12.	Int. on PD A/c	51,752.00		
	Total	1,96,31,370.07	Total	1,96,31,370.07

अध्याय-5

आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण

आयोग (01.04.2014 से 31.03.2015 तक) में प्राप्त आवेदनों पर उभयपक्षों के बीच समझाइश कर कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें से कुछ सफल प्रकरण निम्नानुसार है :-

प्रकरण संख्या-एक

कीर्ति एक व्याख्याता पद पर कार्यरत है। कीर्ति के पति भी राजकीय सेवा में अधिकारी है। पति के दूसरी महिला से संबंध होने से परिवार के बीच कटुता पैदा हो गई। पति नीरज ने अपनी विवाहिता पत्नी से तलाक लेने के लिए माननीय न्यायालय में याचिका पेश कर दी। कीर्ति ने अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए आयोग में शिकायत की। आयोग ने दोनों पति-पत्नी व बच्चों को बुलाकर समझाइश की। आयोग की समझाइश पर पति नीरज ने परिवार की भलाई को समझते हुए माननीय न्यायालय में लगी तलाक की याचिका को वापिस ले लिया। इस तरह एक परिवार को टूटने से बचाया जा सका।

प्रकरण संख्या -दो

गौरी एक पिछड़े वर्ग की महिला है, जिसका मुकेश से विवाह हुआ था। मुकेश शराब पीकर कम दहेज लाने के लिए तंग, मारपीट, व परेशान करता था। ससुरालवालों ने एक राय होकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। गौरी व उसके ससुरालवालों को बुलाकर समझाइश की गई। दोनों पति-पत्नी पुरानी बातों को भुलाकर साथ रहने को राजी हो गए। दोनों पति पत्नी को साथ रहने को भिजवाया गया। गौरी व मुकेश की गृहस्थी ठीक तरह से चल रही है।

प्रकरण संख्या -तीन

पूर्णिमा एक पिछड़ा वर्ग की महिला है, जिसका मुकन्द से विवाह हुआ और एक बच्ची हुई। मुकन्द दहेज के सामान को तोड़ता है और कन्यादान के पैसे मांगता है। पूर्णिमा को पीहर वालों से बात नहीं करने देते और ससुरालवालों आगे पढ़ाई भी करने

देते हैं दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश की गई। मुकन्द अपनी पत्नी पूर्णिमा को आगे पढाई कराने को तैयार हो गया । इस तरह दोनों पति-पत्नी साथ-साथ राजी-खुशी रहने लग गए।

प्रकरण संख्या –चार

सुजाता अनुसूचित जाति की महिला है, जिसका विवाह गोपाल के साथ हुआ था। ससुरालवालों द्वारा दहेज के लिए परेशान करने के कारण वह पीहर में रह रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश की गई। गोपाल को समझाया की वह अपनी माता व पत्नी के बीच समझाइश बनाएँ और सुजाता को कुछ राशि हाथ खर्च के लिए देता रहें। अनुपालना देखने के लिए दोनों पति-पत्नी को बुलाकर पूछा गया। उन्होंने बताया कि अब उनकी गृहस्थी सही चल रही है और आपस में कोई शिकायत नहीं है।

प्रकरण संख्या –पांच

लीला के पिता लालाराम ने आयोग में एक परिवाद दिया कि उसकी पुत्री लीला सरकारी संस्थान में कार्य कर रही है। लीला के अधिकारी द्वारा उसके साथ कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी को आयोग में तलब कर जवाब चाहा गया। अधिकारी ने अपने पक्ष में जवाब प्रेषित किया। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आयोग ने संबंधित विभाग को अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सिफारिश की।

नोट : उक्त सभी नाम काल्पनिक है।

अध्याय-6 महिला हेल्पलाइन

वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में अगस्त 2012 से महिला आयोग में हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है।

वित्त विभाग से पूर्व में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रतिदिन 24 घन्टे चलने वाली इस महिला हेल्पलाइन में चार परामर्शदाता (प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से) कार्यरत हैं। आयोग द्वारा उनकी योग्यता एम.एस. डब्ल्यू. विधि स्नातक, समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर निर्धारित की गयी तथा साथ ही 5 वर्ष का अनुभव भी वांछित है।

उक्त हेल्पलाइन में पीड़ित महिलाओं के सहायता हेतु निम्न प्रकार से टेलीफोन कार्यरत हैं :-

- टेलीफोन नम्बर (टोल फ्री) -1091

दिनांक 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक प्राप्त प्रकरणों का विवरण

Reg. Total Cases	In Process	Disposed Off
786	634	152

महिला हेल्पलाइन द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण

आयोग (01.04.2014 से 31.03.2015 तक) में प्राप्त आवेदनों पर दोनों पक्षों के बीच समझाइश कर कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें से कुछ सफल प्रकरण निम्नानुसार है:—

प्रकरण संख्या-1

ऐश्वर्या ने हेल्पलाइन पर फोन किया और बताया कि वे आला हजरत ट्रेन में जयपुर से भुज के लिए बैठी हैं। किन्तु यहां से कुछ अनजान व्यक्ति भी महिला डिब्बे में बैठ गए हैं और वे बदतमिजी कर रहे हैं।

महिला हेल्पलाइन द्वारा उसी वक्त रेलवे सी.एम. कंट्रोल रूम को फोन कर सूचित किया गया और सारी घटना की जानकारी दी गई। वहां से अजमेर कंट्रोल रूम को सूचित किया गया। अर्द्धरात्रि को अगले स्टेशन पर उन लोगो को ट्रेन से उतारा गया और उचित कार्यवाही की गई। इस प्रकार ऐश्वर्या की मदद की गई।

प्रकरण संख्या-2

निशा ने हेल्पलाइन पर फोन करके बताया कि वह ख्यातिनाम विद्यालय में कार्यरत हैं। निशा दूसरे राज्य की रहने वाली थी और डांस व संगीत अध्यापक के रूप में आई थी किन्तु 7 माह बाद विद्यालय के चेयरमैन ने उन्हें विद्यालय छोड़ने के लिए कह दिया। साथ ही दो महीने का वेतन भी नहीं दिया और कहा कि जब यहां से जाओगे और रिक्शा में सामान रखोगे तब वेतन देंगे।

महिला हेल्पलाइन द्वारा चेयरमैन से बात की गई और उन्हें विद्यालय के नियम की प्रति हेल्पलाइन (महिला आयोग) में भेजने के लिए कहा गया तथा उनको समझाया गया।

विद्यालय के चेयरमैन संतुष्ट हो गए और उन्होंने निशा का पूरा वेतन दे दिया और निशा अपने घर प्रस्थान कर गई।

अध्याय-7

राज्य महिला नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा

राज्य महिला आयोग द्वारा वर्तमान राज्य महिला नीति 2000 की समीक्षा का कार्य प्रारम्भ कर राज्य महिला नीति की समीक्षा से संबंधित दस्तावेज, कार्यवाही व आंकड़ें एकत्रित कर एक कोर कमेटी का गठन किया गया। राज्य महिला नीति, 2000 का पुनरावलोकन कर नई महिला नीति बनाने हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया।

महिला नीति 2000 का पुनरावलोकन कर नई महिला नीति का प्रारूप तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान के समक्ष पत्रांक 7658 एवं 7659 दिनांक 20.11.2014 को प्रस्तुत किये गये हैं।

अध्याय-8 कार्यशाला आयोजन

महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने, महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों, पुलिस विभाग, बुद्धिजीवियों एवं महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं सं.	दिनांक	आयोजित कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण
1	04 जुलाई 2014	महिलाओं द्वारा अनैतिक देह-व्यापार एवं महिलाओं की खरीद-फरोख्त को रोकने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा पिछले दो वर्षों में सभी जिलों में आयोजित जनसुनवाई के दौरान तथा समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान में अनैतिक देह-व्यापार एवं महिलाओं की खरीद-फरोख्त की घटनाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लिया गया।

उक्त घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा महिलाओं को भय मुक्त एवं गरिमामय सामाजिक वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा राजस्थान राज्य पुलिस प्रशासन तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से विचार-विमर्श करने हेतु दिनांक 04.07.2014 को आयोग कार्यालय के सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में राजस्थान राज्य महिला आयोग ने उक्त घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए तुरन्त अंकुश लगाने हेतु प्रभावित कार्य योजना

बनाने पर जोर दिया। आयोग का मानना है कि वेश्यावृत्ति में महिलाओं एवं बालिकाओं को जबरदस्ती धकेला जाता है, वे पीड़िताएँ होती हैं, न कि अभियुक्त। ऐसे में महिलाओं की बजाय दलालों व अड्डे चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (मानव तस्करी प्रकोष्ठ) ने इस संबंध में पुलिस व सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मानव तस्करी रोकने हेतु पुलिस कार्यवाही का विस्तृत रूप से प्रस्तुतीकरण किया। कार्यशाला में निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा पी.पी.टी. का प्रस्तुतीकरण किया गया।

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा देह-व्यापार रोकने तथा सैक्स-वर्कर्स की समस्याओं की समाधान हेतु खुली चर्चा की गई। देह-व्यापार निषेध कानून की सख्ती से पालना के साथ-साथ देह-व्यापार करने वाले परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक स्वावलम्बी बनाने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु अपनी राय व्यक्त की गई। देह-व्यापार में विभिन्न समाजों की संलिप्त महिलाओं की अपेक्षाकृत रूप से अधिक आमदनी होने के कारण तथा उसकी कृत्रिम चमक-दमक से अन्य महिलाएँ भी आकर्षित होकर देह-व्यापार करने लग जाती हैं। ऐसी सामाजिक कुरीति पर रोक लगाये जाने हेतु ठोस रणनीति व समन्वित कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया।

राजस्थान राज्य महिला आयोग की वेब-साइट का लोकार्पण

राजस्थान राज्य महिला आयोग की वेब-साइट का सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण किया गया। उक्त वेब-साइट का दिनांक 23.11.2014 को माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा लोकार्पण किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वेब-साइट rscw.rajasthan.gov.in के URL पर लाइव उपलब्ध है। वेब-साइट पर पीड़ित महिलाएँ अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवा सकती हैं।

अध्याय-9 प्रसंज्ञान एवं जांच

(अ) आयोग में सीधे आने वाले केसेज के अलावा मीडिया (प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक) द्वारा प्रकाशित/प्रसारित मामलों में भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। वर्ष 2014-15 में कुल 96 प्रकरणों आयोग द्वारा स्वप्रसंज्ञान लिया जाकर पीडिताओं को त्वरित राहत दिलवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे गये।

(अवधि 01.04.2014 से 31.03.2015)

1	03.04.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 03.04.2014 को प्रकाशित समाचार "खड़ी एम्बुलेंस में प्रसव, नहीं आए डॉक्टर"	प्रभारी, अपराजिता, वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेन्टर फॉर विमेन, जयपुरिया हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर को प्रेषित 209 दि.10.04.14
2	06.04.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 06.04.2014 को प्रकाशित समाचार "नाबालिग से दुष्कर्म"	जिला पुलिस अधीक्षक, बूंदी को प्रेषित 196 दि.09.04.14
3	06.04.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 06.04.2014 को प्रकाशित समाचार "संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत"	थानाधिकारी, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर को प्रेषित पत्रांक 195 दि.09.04.14
4	07.04.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 07.04.2014 को प्रकाशित समाचार "नशीली चाय पिलाकर रचाई शादी"	थानाधिकारी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जिला जयपुर को प्रेषित पत्रांक 390 दि.16.04.14
5	08.04.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.04.2014 को प्रकाशित समाचार "भण्डारे से दो	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर को प्रेषित पत्रांक

		बच्चियां अगवा”	389 दि.16.04.14
6	11.04.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 11.04.2014 को प्रकाशित समाचार “फार्म हाउस में बंधे मिले युवक-युवती”	पुलिस आयुक्त,पुलिस आयुक्तालय,जोधपुर को प्रेषित पत्रांक 393 दि.16.04.14
7	15.04.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 15.04.2014 को प्रकाशित समाचार “पत्नी को मारकर पिलाता रहा शराब”	जिला पुलिस अधीक्षक,उदयपुर को प्रेषित पत्रांक 395 दि.16.04.14
8	16.04.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 16.04.2014 को प्रकाशित समाचार “एक नवजात जिंदा तो एक का शव मिला”	जिला पुलिस अधीक्षक,सीकर को प्रेषित पत्रांक 452 दि.23.04.14
9	16.04.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 16.04.2014 को प्रकाशित समाचार “पुलिस के लिए पहली साबित हो रही युवती”	पुलिस आयुक्त, जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4531 दि.23.04.14
10	20.04.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 20.04.2014 को प्रकाशित समाचार “महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किया”	जिला पुलिस अधीक्षक,बांसवाड़ा को प्रेषित पत्रांक 448 दि.23.04.14
11	21.04.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 21.04.2014 को प्रकाशित समाचार “सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा की बच्चियों का देह शोषण”	जिला शिक्षा अधिकारी,पाली को प्रेषित पत्रांक 454 दि.23.04.14
12	21.04.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 21.04.2014 को प्रकाशित समाचार “बिजली स्विच बोर्ड में कैमरा लगा बनाई थी भाजपा नेता की सीडी”	पुलिस आयुक्त,जयपुर को प्रेषित पत्रांक 449 दि.23.04.14
13	26.04.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 26.04.2014 को प्रकाशित समाचार “स्कूल में शिक्षिका से सामूहिक ज्यादाती”	जिला पुलिस अधीक्षक,बूंदी को पत्रांक 978 दि.06.05.13 भेजा गया
14	27.04.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 27.04.2014 को प्रकाशित समाचार “शिक्षिका से ज्यादाती करने वालों को सजा की मांग”	जिला पुलिस अधीक्षक,जयपुर ग्रामीण,जयपुर को प्रेषित पत्रांक 932 दि.06.05.14
15	27.04.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 27.04.2014 को प्रकाशित समाचार “मौत से पहली रात प्रेमी के साथ थी छात्रा”	पुलिस उपायुक्त,जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 933 दि.06.05.14
16	04.05.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 04.05.2014 को प्रकाशित समाचार “दुष्कर्म के आरोपी को छुड़ाने पर हमला, अगले दिन फिर दबोचा ’	पुलिस उपायुक्त,जयपुर शहर (पूर्व),जयपुर को प्रेषित पत्रांक 982 दि.16.04.14
17	04.05.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 03.05.2014 को प्रकाशित समाचार “पत्नी पर केरोसीन उड़ेलकर लगाई आग”	जिला पुलिस अधीक्षक,श्रीगंगानगर।
18	04.05.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 04.05.2014 को प्रकाशित समाचार “दुष्कर्म के आरोपी को	पुलिस उपायुक्त,जयपुर शहर (पूर्व),जयपुर।

		पकड़ने गए पुलिस जाप्ते पर पथराव”	
19	11.05.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.05.2014 को प्रकाशित समाचार “बालिग होते ही ज्यादाती के खिलाफ आवाज”	पुलिस उपायुक्त,जयपुर शहर (दक्षिण), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 1176 दि.14.05.14
20	12.05.14	दि टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 12.05.2014 को प्रकाशित समाचार "Woman's death mystery yet to unfold"	पुलिस उपायुक्त,जयपुर शहर(उत्तर),जयपुर।
21	13.05.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 13.05.2014 को प्रकाशित समाचार “आराध्य के मंदिर में वृद्धा को पीटा”	ठिकाना,श्री गोविन्द देव जी मन्दिर,जयपुर।
22	28.05.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 28.05.2014 को प्रकाशित समाचार “डायन बताकर वृद्धा पर हमला”	जिला पुलिस अधीक्षक,भीलवाड़ा को प्रेषित 1746 दि.30.05.14
23	03.06.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 03.06.2014 को प्रकाशित समाचार “दुष्कर्म व हत्या के दो अभियुक्त गिरफ्तार”	जिला पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को प्रेषित 1940 दि.05.06.14
24	03.06.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 03.06.2014 को प्रकाशित समाचार“गैंग रेप का मामला दर्ज, दो हिरासत में”	पुलिस उपायुक्त,जयपुर शहर (उत्तर),जयपुर को प्रेषित पत्रांक 1939 दि.03.05.14
25	05.06.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 05.06.2014 को प्रकाशित समाचार “नाबालिग ने दुष्कर्म के बाद किया आत्मदाह”	पुलिस उपायुक्त,जयपुर शहर(दक्षिण),जयपुर को प्रेषित पत्रांक 1942 दि.06.06.14
26	08.06.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.06.2014 को प्रकाशित समाचार “बलात्कार के आरोपी दो सिपाही बर्खास्त”	जिला पुलिस अधीक्षक,जी.आर.पी. जयपुर को प्रेषित पत्रांक 1999 दि. 11.06.14
27	11.06.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 11.06.2014 को प्रकाशित समाचार “हत्या कर छात्रा का शव पटरियों पर फेंका”	जिला पुलिस अधीक्षक,श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्रांक 2303 दि.16.06. 14
28	06.07.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 06.07.2014 को प्रकाशित समाचार “दुष्कर्म के बाद बचाव”	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।
29	06.07.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 06.07.2014 को प्रकाशित समाचार “खेत के विवाद में महिला को पेड़ से बांध, पिटाई की”	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।
30	06.07.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 06.07.2014 को प्रकाशित समाचार “लापता बालिका को नहीं ढूँढ पाए, शिप्रापथ एस.एच.ओ का तबादला”	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।
31	07.07.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 07.07.2014 को प्रकाशित समाचार “टीचर से सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, 3 गिरफ्तार”	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर।
32	07.07.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 07.07.2014 को	पुलिस उपायुक्त,जयपुर शहर

		प्रकाशित समाचार "नाबालिग को नौकरी का झांसा, जयपुर में बंधक बनाकर दुष्कर्म"	(पश्चिम), जयपुर।
33	07.07.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 07.07.2014 को प्रकाशित समाचार "पुलिस से परेशान पीड़ित ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु"	जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर।
34	08.07.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.07.2014 को प्रकाशित समाचार "पल्लवी के हत्यारे सज्जाद को उम्रकैद"	जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।
35	08.07.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.07.2014 को प्रकाशित समाचार "नाबालिग से दुष्कर्म की सजा मात्र पांच जूते"	जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।

36	15.07.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 15.07.2014 को प्रकाशित समाचार "महिला की मौत पर आक्रोश"	जिला पुलिस अधीक्षक,सिरोही।
37	23.07.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23.07.2014 को प्रकाशित समाचार "मर गई तो रोओगे, कह आग लगा ली"	जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को प्रेषित पत्रांक 4006 दि.25.07.14
38	28-07-14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 28.07.2014 को प्रकाशित समाचार "नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों की तलाश"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4205 दि.06.08.14
39	28-07-14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 28.07.2014को प्रकाशित समाचार "पांच सितारा होटल से दलाल सहित कॉलगर्ल गिरफ्तार"	जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को प्रेषित पत्रांक 4212 दि.06.08.14
40	29.07.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29.07.2014 को प्रकाशित समाचार "काम के बहाने बुलाकर दुष्कर्म"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व),जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4215 दि.06.08.14
41	29.07.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29.07.2014 को प्रकाशित समाचार "काम के बहाने बुलाकर दुष्कर्म"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण) जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4211 दि.06.08.14
42	01.08.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 01.08.2014 को प्रकाशित समाचार "सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रसास"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व) जयपुर दिं 06.08.14
43	01.08.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 01.08.2014 को प्रकाशित समाचार "आपत्तिजनक विलपिंग बनाकर किया ब्लैकमेल"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4207 दि.06.08.14
44	01.08.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 01.08.2014 को प्रकाशित समाचार "शिक्षक ने की छात्रा से छेड़छाड़, प्रिंसिपल ने दर्ज कराई रिपोर्ट"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4508 दि.06.08.14
45	02.08.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 02.08.2014 को प्रकाशित समाचार "युवती को कार से अगवा कर गैंग रेप किया, दो गिरफ्तार"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4639 दि.22.08.14
46	02.08.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 06.08.2014 को प्रकाशित समाचार "शादी का झांसा देकर करते रहे देहशोषण"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।
47	03.08.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 03.08.2014 को प्रकाशित समाचार "दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी पकड़ा"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर, (पश्चिम), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4641 दि.22.08.14
48	03.08.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 03.08.2014 को प्रकाशित समाचार "घरेलू काम का झांसा देकर दुष्कर्म"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।

49	03.08.14	टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 03.08.2014 "Pregnant woman kept hostage, beaten by in-laws"	प्रभारी, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, बाडमेर।
50	08.08.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.08.2014 को प्रकाशित समाचार "दुष्कर्म का आरोपी चाचा गिरफ्तार"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4744 दि.26.08.14
51	12.08.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12.08.2014 को प्रकाशित समाचार "मां नही बनी तो जिंदा जला दिया"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 5592 दि.18.09.14
52	12.08.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12.08.2014 को प्रकाशित समाचार "किशोरी को जिंदा जलाने का प्रयास" दो गिरफ्तार"	जिला पुलिस अधीक्षक,धौलपुर।
53	15.08.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 15.08.2014 को प्रकाशित समाचार "बालिका से सामूहिक ज्यादती एक आरोपी हिरासत में"	जिला पुलिस अधीक्षक,सीकर को प्रेषित पत्रांक 4814 दि.27.08.14
54	15.08.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 15.08.2014 को प्रकाशित समाचार 'शादी का झांसा देकर दुष्कर्म"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4816 दि. 27.08.14
55	17.08.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.08.2014 को प्रकाशित समाचार "छात्राओं के सपनों पर फिरा पानी"	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्रांक 4812 दि.27.08.14
56	18.08.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 18.08.2014 को प्रकाशित समाचार "सगे भाई करते रहे युवती से दुष्कर्म"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 4817 दि.27.08.14
57	18.08.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 18.08.2014 को प्रकाशित समाचार "छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने स्कूल छोड़ा"	जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित पत्रांक 4818 दि.27.08.14
58	19-08-14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19.08.2014 को प्रकाशित समाचार "अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार"	महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर को प्रेषित पत्रांक 4746 दि.26.08.14
59	22.09.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 22.09.2014 को प्रकाशित समाचार "भाई के सामने बहन से की छेड़छाड़ "	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6030 दि.30.09.14
60	23.09.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 23.09.2014 को प्रकाशित समाचार "डॉक्टर के वेष में आया भर्ती महिलाओं से की अश्लीलता"	अधीक्षक,जनाना अस्पताल, चांदपोल,जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6032 दि.30.09.14
61	24.09.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 24.09.2014 को प्रकाशित समाचार "शादी के आठ माह बाद ही विवाहिता ने फंदा लगाया"	जिला पुलिस उपायुक्त,जयपुर शहर(दक्षिण), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6025 दि.30.09.14

62	24.09.14	हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 24.09.2014 को प्रकाशित समाचार "Abducted girl raped; women gang-raped "	जिला पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6034 दि.30.09.14
63	25.09.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 25.09.2014 को प्रकाशित समाचार "सरपंच पुत्र ने आशा सहयोगिनी को पीटा"	जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6036 दि.30.09.14
64	26.09.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 26.09.2014 को प्रकाशित समाचार "पत्नी को तलाशने वाले पति का नाम भी एफआईआर में दर्ज हो"	जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को प्रेषित पत्रांक 6040 दि.30.09.14
65	26.09.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 26.09.2014 को प्रकाशित समाचार "विवाहिता का आत्मदाह, दहेज हत्या का केस"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6039 दि.30.09.14
66	27.09.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 27.09.2014 को प्रकाशित समाचार "दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने खाकर दी जान"	जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को प्रेषित पत्रांक 6257 दि.08.10.14
67	28.09.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 28.09.2014 को प्रकाशित समाचार "विषाक्त के सेवन से युवती की मौत"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6256 दि.08.10.14
68	29.09.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 29.09.2014 को प्रकाशित समाचार "रिसोर्ट से महिला के अपहरण का प्रयास"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6252 दि.08.10.14
69	29.09.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29.09.2014 को प्रकाशित समाचार "हाईकोर्ट ने मानी किशोरी की इच्छा"	पुलिस कमिश्नर, जोधपुर।
70	29.09.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29.09.2014 को प्रकाशित समाचार "जिंदा जल गई खाना बनाती महिला"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6253 दि.08.10.14
71	29.09.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29.09.2014 को प्रकाशित समाचार "एएसआई का उत्पात, महिलाओं से मारपीट"	जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर को प्रेषित पत्रांक 6250 दि.08.10.14
72	01.10.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 01.10.2014 को प्रकाशित समाचार "महिला मठाधीश तोलापुरी की हत्या"	जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को प्रेषित पत्रांक 6344 दि.09.10.14
73	01.10.14	हिन्दुस्तान टाइम्स, में दिनांक 01.10.2014 को प्रकाशित समाचार "Police Constable, three home guards molest married woman, snatch phone"	जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर को प्रेषित पत्रांक 6345 दि.09.10.14
74	02.10.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 02.10.2014 को प्रकाशित समाचार "हक के लिए भटक रही शिक्षिकाएं"	निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6346 दि.09.10.14

75	15.10.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 15.10.2014 को प्रकाशित समाचार "छेड़छाड़ से रोक तो मां को मार डाला"	जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित पत्रांक 6612 दि.21.10.14
76	15.10.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 15.10.2014 को प्रकाशित समाचार "गायब हुई महिला की 24 घन्टे बाद लाश पटरियों पर मिली"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6622 दि.21.10.14
77	16.10.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 16.10.2014 को प्रकाशित समाचार "चलती कार में छात्रा से रेप"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 6613 दि.21.10.14
78	17.10.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित समाचार "पत्नी की गला घोट कर हत्या"	जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही को प्रेषित पत्रांक 6611 दि.21.10.14
79	19.10.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 19.10.2014 को प्रकाशित समाचार "कांस्टेबल की बेटी से अभद्रता केस दर्ज"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 7362 दि.07.11.14
80	20.10.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.10.2014 को प्रकाशित समाचार "नाबालिग से बलात्कार, आरोपी का सहयोगी गिरफ्तार"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 7360 दि. 07.11.14
81	20.10.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.10.2014 को प्रकाशित समाचार "युवती को अगवा करने के आरोपी गिरफ्तारी"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर को प्रेषित पत्रांक 7361 दि.07.11.14
82	22.10.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22.10.2014 को प्रकाशित समाचार "मासूम बेटी को पत्थरों से मार डाला"	जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को प्रेषित पत्रांक 7363 दि.07.11.14
83	22.10.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 22.10.2014 को प्रकाशित समाचार "बालिका से दुराचार, लहलुहान हालत में मिली"	जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को प्रेषित पत्रांक 7357 दि.07.11.14
84	07.11.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 07.11.2014 को प्रकाशित समाचार "नवजात बेटी की हालत में सुधार"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।
85	07.11.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 07.11.2014 को प्रकाशित समाचार "दुष्कर्म के बाद जान से मारने की दी धमकी"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर।
86	07.11.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 07.11.2014 को प्रकाशित समाचार "डायन बताकर मां-बेटे से की मारपीट"	जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर।
87	07.11.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 07.11.2014 को प्रकाशित समाचार "महिला से छेड़छाड़ को लेकर हंगामा"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण), जयपुर।

88	07.11.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 07.11.2014 को प्रकाशित समाचार "लिफ्ट देने के बहाने महिला से दुष्कर्म"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर।
89	08.11.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.11.2014 को प्रकाशित समाचार "हत्या की सजा काट रहे अपराधी ने नाबालिग से दुष्कर्म"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (दक्षिण), जयपुर।
90	08.11.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 08.11.2014 को प्रकाशित समाचार "जीणमाता जा रही नाबालिग बच्ची से सामूहिक ज्यादती"	जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर
91	09.11.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 09.11.2014 को प्रकाशित समाचार "छात्रा से दुष्कर्म कर अश्लील सीडी बनाई"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर।
92	14.11.14	दैनिक नवज्योति में दिनांक 14.11.2014 को प्रकाशित समाचार "मर्सी होम मामले में मुख्यमंत्री गंभीर"	पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम), जयपुर।
93	14.11.14	दैनिक भास्कर में दिनांक 14.11.2014 को प्रकाशित समाचार "छेड़छाड़ से तंग कॉलेज छात्रा ट्रेन के सामने आई, खुदकुशी का प्रयास"	जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर।
94	16.11.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 16.11.2014 को प्रकाशित समाचार "नसबंदी के बाद तबीयत बिगड़ी, महिला की मौत"	जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़।
95	16.11.14	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 16.11.2014 को प्रकाशित समाचार "गैंगरेप के बाद युवती की हत्या, थाने पर प्रदर्शन "	जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।
96	23-11-14	टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 23.11.2014 को प्रकाशित समाचार "councillor accused kidnapping daughter" थाने पर प्रदर्शन"	जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।

- वर्ष 2014 (01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015) में 12 पीड़ित महिलाओं को शक्ति स्तम्भ, महिला सदन तथा बालिका सदन भेजा गया।

अध्याय-10
महिला आयोग द्वारा रेड-लाइट एरिया के दौरे व निरीक्षण

राजस्थान प्रदेश में महिलाओं द्वारा अनैतिक रूप से किये जा रहे देह-व्यापार रोकने हेतु आयोग द्वारा पहल की जाकर इसकी रोकथाम हेतु रेड-लाइट एरिया के दौरे किये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं:-

1	झालावाड़ (बकानी व कंजर बस्ती)	06.06.2014	अध्यक्ष प्रो० लाड़ कुमारी जैन व लता प्रभाकर चौधरी, सदस्य
2	बारां (अटरू, मायथा)	06.06.2014	अध्यक्ष प्रो० लाड़ कुमारी जैन व लता प्रभाकर चौधरी, सदस्य
3	कोटा (शहर का बाहरी क्षेत्र)	07.06.2014	अध्यक्ष प्रो० लाड़ कुमारी जैन व लता प्रभाकर चौधरी, सदस्य
4	बूंदी (कंजरी, सांसी बस्ती)	07.06.2014	अध्यक्ष प्रो० लाड़ कुमारी जैन व लता प्रभाकर चौधरी, सदस्य
5	जोधपुर	14.09.2014	अध्यक्ष प्रो० लाड़ कुमारी जैन व लता प्रभाकर चौधरी, सदस्य
6	जैसलमेर, ओडनिया (पोकरण) (सम, सी. आई.डी. कॉलोनी, तोता कॉलोनी, बावर मगरा, सुदासर)	15.09.2014	अध्यक्ष व लता प्रभाकर चौधरी, सदस्य
7	बाडमेर (समदड़ी व कर्मावास की ढाणी)	16.09.2014	अध्यक्ष व लता प्रभाकर चौधरी, सदस्य
8	सिरोही (रेवदर, होलागरा, हड़मतिया, अनादरा, हाइवे, न्यू पिपलिया), माउन्ट आबू	07-08.10.14	अध्यक्ष व रूपा तिवाड़ी, सदस्य
9	उदयपुर-उदयपुर शहर, उदयपुर-अहमदाबाद हाइवे,	09-10.10.14	अध्यक्ष व रूपा तिवाड़ी, सदस्य
10	भरतपुर (मलहा) (प्रेमनगर), आजादनगर, रूपवास, सैहडूंगर, बंशी पहाड़पुर	12-13.10.14	अध्यक्ष व दमयन्ती बाकोलिया (सदस्य)
11	धौलपुर (मनिया, राजाखेडा के आदर्शनगर, सिंधावली खुर्द, कबूतरपुरा, कोलुआ)	14.10.2014	अध्यक्ष व दमयन्ती बाकोलिया, सदस्य
12	करौली (धौली थार)	15.10.2014	अध्यक्ष व दमयन्ती बाकोलिया, सदस्य
13	भीलवाडा (शहर पंचमुखी कॉलोनी, कालाखेडा, मारुति नगर, कंजर बस्ती)	18.10.2014	अध्यक्ष व दमयन्ती बाकोलिया, सदस्य
14	चित्तौडगढ़ शहर	18.10.2014	अध्यक्ष व लता प्रभाकर चौधरी, सदस्य

15	भरतपुर (नगर, गोपालगढ़, पहाडी)	27.10.2014	अध्यक्ष व दमयन्ती बाकोलिया, सदस्य
16	अलवर (गाजूकी) (झारकेडा का बास, एम. आई., कलसाडा)	27.10.2014	अध्यक्ष व दमयन्ती बाकोलिया, सदस्य
17	टोंक (छाण मेहन्दवास, दाखिया मोड़, पोल्याड़ा-कंजर बस्ती, दूनी कंजर बस्ती)	29.10.2014	अध्यक्ष व दमयन्ती बाकोलिया, सदस्य
18	अजमेर देवगांव गेट के बाहर कंजर बस्ती (केकंडी), जयसिंहपुरा, (टोंक)	08.11.2014	अध्यक्ष व दमयन्ती बाकोलिया, सदस्य
19	जयपुर-शहर में, प्रतापनगर सांगानेर, बगरू, टीलावाला, भोजपुरा, जयपुर अजमेर		अध्यक्ष व दमयन्ती बाकोलिया, सदस्य
20	जोधपुर (घासमण्डी, चौपासनी 18 सैक्टर आवासन मण्डल, नटिया कॉलोनी, बलदेवनगर, सांसी बस्ती, मथुरिया, घास मण्डी,)	13.11.2014	लता प्रभाकर चौधरी, सदस्य व दमयन्ती बाकोलिया, सदस्य
21	भीलवाड़ा (हनुमान नगर, इटुण्डा, पण्डेर)	16.11.2014	अध्यक्ष

दौरे के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान को पत्रांक 7735 दिनांक 21.11.14 के अनुसार वस्तु:स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अध्याय-11

आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं

राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम, महिला सशक्तीकरण व महिला कल्याण कार्यक्रमों के लिए नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार को विभिन्न अनुशंसाएं भेजी गई जो इस प्रकार हैं।

क्र.सं.	दिनांक	पत्रांक	नाम	विषय
1.	18.11.2014	7645	माननीय मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार	पुलिस थानों में स्थापित महिला डेस्क के सुचारु संचालन एवं महिलाओं के लिए सुगमता बनाने हेतु तथा महिला डेस्क की उपयोगिता को प्रभावी बनाने हेतु।
2.	18.11.2014	7646	माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु।
3.	18.11.2014	7647	माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार	महिला सदन एवं बालिका सदन में निवास कर रही महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।

अध्याय-8
कार्यशाला आयोजन
वर्ष 2014-2015

महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने, महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों, पुलिस विभाग, बुद्धिजीवियों एवं महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं सं.	दिनांक	आयोजित कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण
1	04 जुलाई 2014	महिलाओं द्वारा अनैतिक देह-व्यापार एवं महिलाओं की खरीद-फरोख्त को रोकने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा पिछले दो वर्षों में सभी जिलों में आयोजित जनसुनवाई के दौरान तथा समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान में अनैतिक देह-व्यापार एवं महिलाओं की खरीद-फरोख्त की घटनाएँ निरन्तर बढ़ रही हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लिया गया।

उक्त घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा महिलाओं को भय मुक्त एवं गरिमामय सामाजिक वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा राजस्थान राज्य पुलिस प्रशासन तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से विचार-विमर्श करने हेतु दिनांक 04.07.2014 को आयोग कार्यालय के सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में राजस्थान राज्य महिला आयोग ने उक्त घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए तुरन्त अंकुश लगाने हेतु प्रभावित कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। आयोग का मानना है कि वेश्यावृत्ति में महिलाओं एवं बालिकाओं को जबरदस्ती धकेला जाता है, वे पीड़िताएँ होती हैं, न कि अभियुक्त। ऐसे में महिलाओं की बजाय दलालों व अड्डे चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (मानव तस्करी प्रकोष्ठ) ने इस संबंध में पुलिस व सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मानव तस्करी रोकने हेतु पुलिस कार्यवाही का विस्तृत रूप से प्रस्तुतीकरण किया। कार्यशाला में निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा पी.पी.टी. का प्रस्तुतीकरण किया गया।

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा देह-व्यापार रोकने तथा सैक्स-वर्कर्स की समस्याओं की समाधान हेतु खुली चर्चा की गई। देह-व्यापार निषेध कानून की सख्ती से पालना के साथ-साथ देह-व्यापार करने वाले परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक स्वावलम्बी बनाने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु अपनी राय व्यक्त की गई। देह-व्यापार में विभिन्न समाजों की संलिप्त महिलाओं की अपेक्षाकृत रूप से अधिक आमदनी होने के कारण तथा उसकी कृत्रिम चमक-दमक से अन्य महिलाएँ भी आकर्षित होकर देह-व्यापार करने लग जाती हैं। ऐसी सामाजिक कुरीति पर रोक लगाये जाने हेतु ठोस रणनीति व समन्वित कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया।

क्र. स.	जिले का नाम	जनसुनवाई दिनांक	कुल प्राप्त प्रकरण
1	श्रीगंगानगर	04.08.2014	140
2	हनुमानगढ़	05.08.2014	29
3	चूरु	06.08.2014	69

राजस्थान राज्य महिला आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर
Qksu ua- 0141&2779002]3]4] QSDI ua- 2779002] gSYi ykbZu ua- 1091
E-mail : raj.rajyamahilaaaayog@gmail.com

क्रमांक:

दिनांक:

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य महिला आयोग का वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने हेतु निम्न प्रकार केमटी का गठन किया जाता है:—

1	श्री महेश पालीवाल, स्टेनोग्राफर	कमेटी संयोजक
2	श्री जगदीश खत्री, निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष	सदस्य
3	श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक	सदस्य

वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप दिनांक 11.05.2016 तक तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जायें। उक्त कार्य के सम्पादन हेतु निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष तथा सहायक लेखाधिकारी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि सूचार्थ :-

1. निजी सचिव, /निजी सहायक माननीय अध्यक्ष, रामआ, जयपुर।
2. निजी सहायक, सदस्य सचिव, रामआ, जयपुर।
3. सहायक लेखाधिकारी, रामआ, जयपुर।
4. श्री महेश पालीवाल, स्टेनोग्राफर, रामआ, जयपुर।
5. श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, रामआ, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव

